

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/00271

दिनांक 20.03.2018

सेवा में,

श्री रामजीत यादव,
ग्राम - बारीगांव महुआरा,
पो0 - बारीगांव डीह, जिला - जौनपुर,
उत्तर प्रदेश - 222165.

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

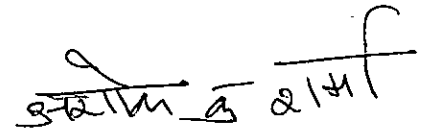
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 27.02.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 15.03.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 116488) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 16.03.2018 को प्राप्त हुआ से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नांकित है:-

बिंदु सं. 1 से 13	आपने केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा धारित कोई सूचना नहीं मांगी है, बल्कि कुछ प्रश्न पूछे हैं जो कि सूचना सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है, अतः जन सूचना अधिकारी ऐसी सूचनाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं ।
----------------------	---

विस्तृत जानकारी के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 (जो आयोग की वेबसाइट के लिंक <http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf> पर उपलब्ध है) एवं सूचना अधिकार नियम, 2012 जो आयोग की वेबसाइट के लिंक <http://cic.gov.in/sites/default/files/RTI/RTIRules2012.pdf> पर उपलब्ध है, का अवलोकन करें।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।



(ए. के. शर्मा)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690

